

## न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

रुक्मणि रियार सिहाग  
आई.ए.एस.

मिसल संख्या  
249 / अपील / 18

तारीख दायरा  
05.06.2018

तारीख निर्णय  
01.10.2019

मोडू आ0 औंकार जाति मेघवाल,  
निवासी ग्राम झरबालापुра, तहसील एवं जिला बून्दी

– अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बून्दी

– रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित-

अपीलान्त की ओर से श्री भीमराज गूजर, एडवोकेट।  
रेस्पोंडेन्ट की ओर से परोकार सरकार।

### निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.18 (मिसल संख्या 788/2018) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। जिसमें अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया, अपीलांत को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलांत की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित कर सिविल सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। जिससे अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का

सत्य प्रतिलिपि

अति-प्रशासनिक अधिकारी

कलेक्टर, बून्दी



जिला कलेक्टर, बून्दी

अवसर नहीं मिला। ऐसे में अपीलांट अपने अधिकारों से वंचित हो गये, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय के बाद उक्त आराजी पर से अपीलांट द्वारा अपना कब्जा छोड़ दिया है, वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। आरोपित शास्ति अपीलांट द्वारा राजकोष में जमा करवा दी है, वर्तमान में उक्त भूमि बाबत अपीलांट पर कोई राशि बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माने जाने में कानूनी त्रुटि की है। चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा पेनल्टी राशि जमा करवा दी है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कठोर दण्ड सिविल सजा को निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.18 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी चरागाह भूमि है, उक्त भूमि आवन्टन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। अपीलान्ट बार बार अतिचार करने के आदी है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट हल्का पटवारी से होती है। अपीलांट के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष में मनन किया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांट ने भूमि खसरा संख्या 439 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व 460 रकबा 5 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम झरबालापुра पर संवत् 2074 मौसम रबी में गेहूं की फसल काशत कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली, फसल नीलामी, 838/-रु. शास्ति तथा तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अतिक्रमी द्वारा संवत् 2074 मौसम खरीफ में भी उक्त चरागाह भूमि पर उड़द की फसल काशत कर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिस पर से अतिक्रमी को पूर्व में भी बेदखल किया गया था। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट बार बार अतिचार करने का आदी है।



जिला कलेक्टर, बून्दी

सत्य प्रतिनिधि

अतिप्रशासनिक अधिकारी  
कलेक्टर, बून्दी

अपीलान्त द्वारा यहां आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही समुचित तामील करवाई गई तथा उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को दिनांक 09.02.18 को विधिवत नोटिस दिया गया, जो अपीलांत के मकान पर चस्पानगी से तामील होना अंकित है। इस प्रकार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को अपना जवाब एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित प्रदान किया गया था। इसके बावजूद भी अपीलांत की ओर से उक्त चरागाह भूमि पर उनके स्वत्व के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश होना नहीं पाया गया है। अपीलान्त द्वारा यह भी आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसका पश्चात्वृत्ती अतिक्रमण मानने की त्रुटि की है। अपीलान्त के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी होने की पुष्टि न्यायालय नायब तहसीलदार बूंदी की पत्रावली संख्या 2232/17 व 2237 निर्णय दिनांक 16.10.17 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति से होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांत ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी चरागाह भूमि है, उक्त भूमि पर अपीलांत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी भूमियाँ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवन्तन/ नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। चरागाह भूमियाँ सार्वजनिक उपयोग की होती है तथा मवेशियों की चराई के लिये है, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा किसी भी रूप में उचित नहीं माना गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 की पालना में भी चरागाह भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाना है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को विधिवत नोटिस एवं सुनवाई का अवसर देकर ही समस्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 01.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रुक्मणि रियार सिहाग )  
जिला कलेक्टर बूंदी

